संख्या– 2276 / 26–2–2010–3मु0स0 / 10

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2010

विषय उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री के सत्यापन के बाद सूचियों के प्रकाशन तथा अग्रेतर कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में सर्वे के पश्चात् सत्यापित डाटा के फीडिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शासन स्तर पर सर्वेक्षित डाटा का समग्र विश्लेषण करते हुए तथा समाज के सभी वर्गो को योजना में समुचित लाभ प्रदान करने की दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

1– सर्वेक्षित परिवारों को सर्वेक्षण सम्बंधी विभिन्न मदों के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित अंक व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए अब अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 03, विमुक्त जाति के लिए 02 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 01 अतिरिक्त अंक दिये जाने की व्यवस्था की जाय। तद्नुसार पूर्ववर्ती अंक व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित समक्षा जाय।

2– उपरोक्त संशोधित मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार संशोधित सूचियों को कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार करने हेतु एन.आई.सी. द्वारा संशोधित साफटवेयर ' वर्जन 1.6 ' एन.आई. सी. के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों को प्रेषित कर दिये गये हैं जिसे जनपद स्थित सभी स्वीकृत वेण्डरों को अविलम्ब उपलब्ध कराकर प्रस्तर–1 में निर्दिष्ट अंक गणना के आधार पर संशोधित सूचियां तैयार कर ली जायं।

3– योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा लक्षित लाभार्थियों की संख्या व सर्वेक्षित डाटा के विश्लेषण के आधार पर तृतीय सूची जो प्रत्येक परिवार/हाउस होल्ड के स्कोर प्वाइन्ट पर आधारित है, में कट ऑफ प्वाइन्ट 16 रखना निश्चित किया गया है अर्थात् 16 व उससे ऊपर के अंक पाने वाले सभी परिवार इस तृतीय सूची में सम्मिलित होंगे। इस तृतीय सूची को प्रथम एवं द्वितीय सूची के साथ प्रत्येक ग्राम सभा एवं वार्ड में चस्पा किया जायेगा और इन्हीं सूचियों पर आपत्तियॉ आमंत्रित की जायेंगी। योजना में लाभार्थियों के चयन में

अतिरिक्त पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैठकों के समय समस्त सूचियों एवं सर्वे सम्बंधी मूल ' हाउसहोल्ड फार्म ' को भी ग्राम सभा स्तर पर सामान्यजन के अवलोकनार्थ उपलब्ध रखा जाय।

4– समस्त जिलाधिकारी 25 अगस्त, 2010 तक ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकायों के प्रस्ताव पारित करने, लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कराने तथा लाभार्थियों के फार्म भरवाने एवं उनके खाते बैंको में खुलवाने की समस्त कार्यवाही पूर्ण करा लें। बैठकों की अध्यक्षता परगनाधिकारियों तथा आवश्यकतानुसार अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी। स्वीकृत लाभार्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप शीघ्र जनपदों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– आपत्तियों के निस्तारण के बाद अन्तिम रूप से चयनित लाभार्थियों के खाते स्थानीय स्तर पर केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों की यथा सम्भव उन बैंक शाखाओं में ही खोले जांय, जो सी0बी0एस0 हो चुकी हैं जिससे कि आर्थिक मदद योजना की धनराशि का हस्तान्तरण त्वरित गति से सीधे लाभार्थियों के खातों में हो सके।

6– इस योजना का कियान्वयन 1 अक्टूबर, 2010 से प्रारम्भ किया जायेगा अर्थात उस तिथि से उपरोक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को सहायता धनराशि की देयता होगी।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में समयबद्व अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव।

संख्या 2276(1)/26–2–2010–3मु0स0/10–तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से से प्रेषित कि कृपया समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तों को एन0आई0सी0 के ई–मेल के माध्यम अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0एस0एस0 सिंह)
विशेष सचिव।